



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ-226007

संदर्भ संख्या

दिनांक

2177



कार्यालय आदेश

संस्कृत शासन से पत्र सं० 1500/संसार-1-2004 दिनांक 20 फरवरी 2004 के क्रम में विश्वविद्यालय में महिलाओं / छात्रों के साथ घट रही अपराधपूर्ण घटनाओं की प्रवृत्ति को रोकने का लिए महा कुलपति जी ने विनवत महिला सहायता शिक्का निवारण समिति को गठन किया है :-

| क्रम सं० | नाम व विभाग | सं० नम्बर |
|----------|--|------------|
| 1. | प्र० राम चौधरी, अध्यक्ष महिला सहायता समिति सं०आइ०एच०, विभाग, ल०वि०वि० | 9839029883 |
| 2. | डा० शोला मिश्रा, सदस्य / संयोजक महिला सहायता समिति सांख्यिकी विभाग, ल०वि०वि० | 9415088652 |
| 3. | सुमी अर्पणा गूढाचार्य, सदस्य, महिला सहायता समिति सं०आइ०एच०, साइकोलॉजी विभाग, ल०वि०वि० | 9402176497 |
| 4. | श्री अनुसुमा श्याम वर्तमान, सदस्य, महिला सहायता समिति वी०एच०डी० द्वितीय चर, शिक्षा विभाग, ल०वि०वि० | 9490211971 |
| 5. | सोमती सुवर्णा साहनी, अध्यक्ष, सहायक अल एथुकेटनल फाउण्डेशन, विपुल खण्ड, गान्धी नगर, लखनऊ-226010 | 9839014314 |

प्रत्येक शिक्षित महिला / छात्रा अपने साथ घटित या सम्भावित घटना की सूचना समिति के संयोजक या किसी सदस्य को देगी जो अध्यक्ष की प्रकरणा की वस्तुस्थिति से अवगत करावेगा। प्रकरण की प्रवृत्ति को देखते हुए समिति ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी जैसा बंध उचित समझे। समिति को अधिकार होगा कि वह दोनों पक्षों को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश जारी करे और सुनवाई की उपरान्त अपने सुझाव कुलपति जी को प्रेषित करे। इस संकेत में सावधानी की धारा प्रति इस आदेश के साथ प्रेषित की जा रही है।

यह समिति सरकाल प्रभाव से प्रभावी होगी।

संलग्नक : यथावत।

संख्या 10388-450

दिनांक 11/05/11

जी०पी० निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति को महा कुलपति जी के सूचनाएं।
2. प्रति कुलपति जी के सूचनाएं।
3. समस्त संकायधर/विभागाध्यक्ष, ल०वि०वि०।
4. समस्त उपरोक्त समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, ल०वि०वि०।
5. कुलसचिव, ल०वि०वि०।
6. अधि-व्याय, छात्र कल्याण, ल०वि०वि०।
7. उपकुलसचिव, सा० प्रशा०।

(जी०पी० निवाडी)
कुलसचिव

कुलसचिव

In-charge
DTP
Dr. Dimpley
Lebnite-
SMH
19.05.11